न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

श्री मुकेश मिश्रा, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1266 सन् 2022

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या 2399 सन् 2022

CNR No.-UPLP 0100 5118 2022

अयाज खॉ उम्र 24 वर्ष पुत्र रियाज निवासी ग्राम सुनौरी, थाना नीमगांव, जिला खीरी।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोगी

अपराध संख्या 160/2022
धारा 323, 376, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना नीमगांव, जिला–खीरी।

आवेदक/अभियुक्त अयाज खॉ की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 160/2022 धारा 323, 376, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना नीमगांव, जिला–खीरी के मामले में जमानत पर मुक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र मे यह कथन किये गये है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय मे न तो लम्बित है न ही निरस्त हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किए गए है कि आावेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अति विलम्ब से 4 माह बाद दर्ज करायी गयी है। वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने वर्ष 2019 मे एक व्यक्ति शकील के विरूद्ध भी थाना गोला जनपद खीरी मे धारा 376, 506 भा0द0सं0 का मुकदमा लिखाया था, जिसमे उसने अनुचित लाभ लेकर सुलह कर लिया। वादिनी मुकदमा/पीड़िता आवेदक/अभियुक्त से भी अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 06.06.2022 ई0 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। जमानत पर मुक्त होने के बाद

आवेदक/अभियुक्त जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उ0प्र0 राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक ने जमानत का विरोध किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि इस घटना की वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने दिनांक 20–05–2022 ई0 को 21.06 बजे थाना नीमगांव, जनपद खीरी मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि आवेदक/अभियुक्त अय्याज खॉ की रिश्तेदारी उसके पड़ोस के गांव मे होने के कारण वह उसे पहले से जानती पहचानती है। इसलिए दोनो का एक दूसरे के यहां आना जाना था। अय्याज खॉ उससे कई बार शादी करने के लिए कह चुका था। कई बार कहने के कारण वह उसके विश्वास मे आ गयी। आवेदक/अभियुक्त अय्याज खॉ दिनांक 20–01–2022 ई0 उसके घर आया, और उसे शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद दिनांक 09–05–2022 ई0 को वह उसके घर शादी की बात करने सोनौरी गयी, वहां अय्याज, उसके भाई तथा पिता मिले, जिनसे उसने शादी करने के लिए कहा तो सभी ने कहा तू हमारे परिवार के लायक नही है, न ही तू दहेज मे मोटर साइकिल व अन्य सामान दे पायेगी। उसने विरोध किया तो सभी ने गालिया देते हुए धक्का मार कर घर से निकाल दिया और कहा कि कहीं शिकायत की तो जान से मार दूॅगा। उसके बाद अय्याज आज कल, आज कल कह कर शादी का आश्वासन देता रहा, अब उसे पता चला है कि अय्याज खॉ ने दूसरी शादी कर ली है। तब उसे पूरा विश्वास हो गया कि अय्याज ने उसके साथ जनवरी, 2022 ई0 से अब तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। शारीरिक संबंध शादी का आश्वासन देकर जबरन बनाए गए।

अन्वेषण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा 161 के अन्तर्गत विवेचक को दिए गए बयान मे पीड़िता ने यह बतलाया कि अय्याज खां (आवेदक/अभियुक्त) की रिश्तेदारी उसके गांव मे है। अय्याज 26 जनवरी को उसके घर आया और उसके साथ गलत काम किया।

वह घर पर अकेली थी। उसने शोर मचाया तो उसका मुंह दबा दिया और वीडियो भी बना लिया। उसने कहा वह पुलिस केस करेगी तब अय्याज ने अपने घर फोन किया और फिर अय्याज के मम्मी पापा आए और कहने लगे कि किसी को मत बताना नही तो बेइज्जती होगी वह अय्याज से उसकी शादी करा देगे। वह विश्वास मे आ गयी, अय्याज फिर उससे बात करने लगा। फिर उसने उसके साथ कई बार गलत काम किया। चार महीने बाद उसे पता चला कि अय्याज की शादी कही और फिक्स कर दी है। वह अय्याज के घर गयी तो अय्याज के घर वालो ने उसे मारा, अय्याज भी था, उसका फोन छीनने की कोशिश की।

द0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान मे यह बतलाया कि दिनांक 26–01–2022 ई0 को दिन के लगभग 11–12 बजे वह अपने घर पर अकेली थी, तभी अय्याज उसके घर मे जबरदस्ती घुस आया, और उसका मुंह दाब दिया। अय्याज ने उसके कपड़े फाड़ दिए व बलात्कार किया। वह बहुत रोई। अय्याज ने उसका वीडियो भी बनाया। तभी अय्याज के घर वाले रियाज आ गए, और उससे कहने लगे कि कही मत बताना वह दोनो की शादी करा देगे। वह मान गयी, लेकिन बाद मे अय्याज के घर वालो ने अय्याज की शादी कहीं और तय कर दी। वह दिनांक 09–05–2022 ई0 को अय्याज के घर शिकायत करने गयी तो अय्याज के घर वाले इलियास, दारून, कय्यूम, सय्यूम, अयय्याज, रियाज ने उसे लात घूसो से मारा पीटा व गंदी गदी गालिया दी, जान से मारने की धमकी भी दी।

अन्वेषण के पश्चात् विवेचक ने आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 376, 323, 504, 506 के अपराध का आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस घटना की पीड़िता के साथ बलात्कार करना, पीड़िता के साथ मार पीट करना, गाली व जान से मारने की धमकी देना बतलाया गया हैं।

अपराध की प्रकृति, आवेदक/अभियुक्त की अपराध मे संलिप्तता तथा मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने का मै कोई उचित एवं संतोषजनक आधार नही पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अयाज खॉ द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय।

(मुकेश मिश्रा)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।
J O Code UP 5407

दिनांक–04.08.2022